

23/11/16

वकील वादी उपांग प्रार्थना पत्र T J के साथ पेश करल वाद में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। किंतु आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद वादीजगत् खारिज किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र अभाव शून्य से उपांग है किंतु कामवाही प्रार्थना पत्र ड्रॉप की जाती है। मिसल फैसल अंश लेकर नंबर से कम है वाद पक्षतर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

